

छत्तीसगढ़ शासन
मुख्य सचिव कार्यालय

महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर

क्रमांक 241/परि.वि./टीसी/2020
प्रति,

नवा रायपुर दिनांक 11/05/2020

समस्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
छत्तीसगढ़,

विषय :- "नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19)" एवं आपातकालीन प्रयोजन हेतु व्यक्तियों के राष्ट्रीय/अंतर्राज्यीय मूवमेंट के दौरान अधिग्रहित यात्री वाहनों के किराया दर निर्धारण बाबत।

--00--

विषयांतर्गत "नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19)" के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु वर्तमान में भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लॉकडाउन घोषित किया गया है। "कोविड-19" एवं अन्य आपातकालीन प्रयोजन हेतु लोगों को राज्य के जिलों एवं अन्य राज्यों से यात्री बसों के माध्यम से आवागमन/परिवहन हेतु यात्री बसों का अधिग्रहण कर, किराया दर निर्धारित किया गया है -

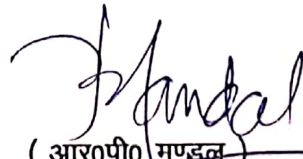
1/ (क) कोविड-19 एवं अन्य आपातकालीन प्रयोजन हेतु यात्री बस किराया की दर--

स.क्र.	यात्री वाहनों का वर्ग	प्रस्तावित किराया
1	15 सीटर तक	रु. 30.00 प्रति कि.मी.
2	16 से 25 सीटर तक	रु. 35.00 प्रति कि.मी.
3	26 से 34 सीटर तक	रु. 45.00 प्रति कि.मी.
4	35 से 50 सीटर तक	रु. 55.00 प्रति कि.मी.
5	51 सीटर से ऊपर	रु. 60.00 प्रति कि.मी.

(ख) यात्री बस के चालक व परिचालक के भोजन व्यवस्था हेतु प्रतिदिन देय भत्ता की राशि -

- I. संबंधित वाहन चालक के लिए रु. 250/- प्रतिदिन
- II. संबंधित वाहन के परिचालक के लिए रु. 200/- प्रतिदिन

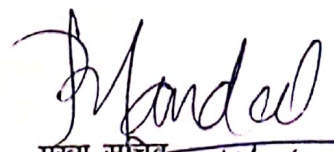
- 2/ प्रशासन द्वारा श्रमिक/मजदूरों के परिवहन हेतु बस उपलब्ध कराये जाने के लिए जिला दण्डाधिकारी द्वारा परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़ की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- 3/ यात्री वाहनों का पी.ओ.एल. खर्च वाहन स्वामी द्वारा वहन किया जावेगा, परंतु यदि पी.ओ.एल. शासन द्वारा उपलब्ध कराया जाता है तो पी.ओ.एल. का व्यय घटाकर शेष किराया का भुगतान किया जायेगा।


(आरुपीओ मण्डल)
मुख्य सचिव 11/5/2020
छत्तीसगढ़ शासन

पृ. क्रमांक 241A/परि.वि./टीसी/2020
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर, दिनांक 11/05/2020

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
1. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़।
2. परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़।
3. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।


मुख्य सचिव 11/5/2020
छत्तीसगढ़ शासन